[Shri Swaran Singh]

liminary issue is all the more disquieting. I have already commented upon that.

12.38 hrs.

MOTION *RE.* PARAGRAPHS 4.39 TO 4.52 OF 50TH (THIRD LOK SABHA) REPORT OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Mr. Speaker: The next item on the Order Paper is a motion by Shri Madhu Limaye and others saying that this House, in the light of the statement made by the Chairman of Public Accounts Committee on 28th July, 1966, in Lok Sabha, should give some direction to the Punblic Accounts Committee.

There are two things that are before us. Shri Madhu Limaye had given separately notice of two privilege motions also. They will be taken up separately, and I will allow him to raise them. So far as this, particular mofion is concerned, I had also received earlier notices from Shri Bhagwat Jha Azad and Shri Sidheswar Prasad that the Speaker should give a direction to the Public Accounts Committee that they might go into the matter. I was still considering that motion, when I got this motion from Shri Madhu Limaye saying that the House should give that direction. Therefore, I have put it down on the Order Paper. So far as I know, there ought not to be any objection and I was also inclined to just give that direction that the Public Accounts Committee should look into it.

Shri Hem Barua (Gauhati): You can give that direction if you want to.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रस्ताव को क्यों रोकना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव का सवाल तब पैदा होगा, जब आपस में कोई फ़र्क हो । माननीय सदस्य जो कुछ चाहते हैं, वह मैं करने के लिए तैयार हूं ।

Why should the time of the House be spent on that? The question at this moment is whether the House should give the direction. If that is the decire, I give it just now. The matter is finished.

माननीय सदस्य का जो प्रिविलेज का सवाल है, उसको मैं सैपेरेटली लेने के लिए तैयार हूं ।

So, I am giving that direction to the **Public Accounts** Committee. In consonance with the motion tabled by Shri Madhu Limaye, as the House is required to give a direction, I am giving that direction. Let it be considered by the Public Accounts Committee.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, on a point of clarification on the ruling which you have given.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, कार्य-सूची में मेरा प्रस्ताव आ चुका है । मैं आप का कोई अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप ने अपना निदेश मेरे प्रस्ताव को मंजूर करने के पहले दिया होता, तो मेरे प्रस्ताव का सवाल ही न उठता । अब चूंकि यह कार्य-सूची पर आ गया है, इस लिए आप मुझे इस मामले को प्रस्ताव के द्वारा उठाने की इजाजत दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं डायरेक्शन नहीं देता हूं, हाउस डायरेक्शन देता है । क्या गवर्नमेंट को कोई आबजैक्शन है कि यह डायरेक्शन दिया जाये ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): No.

Mr. Speaker: That finishes the matter. Let it be from the House.

जब हाउस एग्री करता है और डायरेक्शन देता है, तो आप का प्रस्ताव खत्म हो जाता है। अब आप प्रिविलेज का मामला उठाइ़ये।

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मेरा है। आप उसको पेश करने दीजिये। वह इस तरह कैसे खत्म किया जा सकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी दल में होते हुए भी माननीय सदस्य श्री हेम बरुआ इस बात का समर्थन करते हैं कि मेरा प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्रस्ताव रखने और उस पर बोलने का अवसर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : बला-वजह खींच देने की क्या जरूरत है?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जब आप चेयर से एक बात कह देते हैं, तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होता है।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): This motion cannot be taken up because under the rules a member has got the right to write to the Speaker and request him to make that reference. It is very clearly given in our rules. Under that rule, I exercised my right to write to you. Now you have given your consent to that. It is only when the Speaker refuses permission the issue will come up before the House.

Mr. Speaker: That is what I have said. The intention or object of the motion is that a direction be given to the Public Accounts Committee that it might go into this. I have already made it clear that even earlier, before I received this notice, I had received two notices from two hon. Members of this House and I was still considering whether I should do it or not. Then I placed it on the agenda. Now, what is required is being done—I am giving that direction to the Public Accounts Committee, and that is as good as being done by the House.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Sir, I want your guidance. Once a motion has been put in the Order Paper, the usual procedure is that the mover moves it and then the issue is debated before it is put to the vote.

Mr. Speaker: Now, when the whole House has agreed to that proposal, why should we discuss it?

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): It is not a question of discussing. Earlier also, I remember, Shri Ayyanger had referred matters directly from the Chair and announced it in the House when the matter was not debated. But once you in your wisdom have thought it fit to put it down on the agenda paper, surely the person who has tabled it has a right to explain it, even if you do not allow a debate.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह तो आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री मधु लिमये : आप ने मेरा प्रस्ताव कार्य-सूची में रखने से पहले अपना निर्देश दिया होता, तो मुझे कोई शिकायत न होती। मैंने आप के सचिव से बातचीत की, जिसके बाद मैंने अपना प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव को आप ने स्वीकार किया और तब वह प्रस्ताव कार्य-सूची पर रखा गया। मैं आप का अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इस तरह चेयर से कहेंगे, तो हमारे साथ अन्याय होगा। अगर आप पहले निर्देश दे देते, तो इस प्रस्ताव का कोई सवाल ही न पैदा होता। इसलिए आप मुझे अपना प्रस्ताव रखने की इजाजत दीजिये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): We do not know exactly as to what should be procedure. What I have

(श्री मधु लिमये)

understood you to say is, although the matter has been put on the agenda, if the House accepts the motion or resolution without any opposition, why should there be a discussion. Once the House accepts it . . .

Mr. Speaker: If the hon. Member, Shri Madhu Limaye, wants that it should be done at his instance, I can go even to that extent. Let him move it." I will put it to the House.

श्री मधु लिमये : नहीं, मैं भाषण करना चाहता हूं—मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, भाषण की जरूरत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : यह कैसे हो सकता है ? क्या आप मेरी जुबान बन्द करेंगे ? आप ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रस्ताव हाउस मंजूर कर रहा है ।

श्री मधु लिमये : आप को मुझे प्रस्ताव रखने की इजाजत देनी चाहिए । आप ने बीच में कहा कि मैं निर्देश दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं कि चूंकि आप का यह रेजोल्यूशन है, इसलिए इस पर आप का नाम रहे, तो मैं इसके लिये तैयार हूं ।

श्री मधु लिमये : नाम के लिए कोई झगड़ा नहीं । मैं ने यह प्रस्ताव दिया है इसलिए मुझे भाषण देने का अवसर मिलना चाहिए । यह मेरा अधिकार है । इस में नाम का क्या सवाल है ? आप मेरा नाम काट दीजिये, लेकिन मुझे भाषण करने का अवसर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ भाषण का सवाल नहीं होना चाहिए । जब हाउस आप के रेजोल्यूशन पर एक्ट कर रहा है, तो फिर भाषण देने का क्या मतलब हुआ ?

श्री बागड़ी : अगर किसी बात को हाउस मान ले, तो आप उस पर डीबेट बन्द करवा दें, इसका मतलब क्या है ?

श्री मधु लिमये : अगर यही बात है, तो अविश्वास का प्रस्ताव, नो-कान्फिडेंस मोशन भी वोट के लिए रख दीजिये । उस पर बहस की क्या जरूरत है बहस के बिना प्रस्ताव नहीं रखा जाता है ।

Shri Hari Vishnu Kamath: May I submit that there is considerable force in my hon. friend, Shri Madhu Limaye's argument that he be allowed to move the motion because the item says:—

"Shri Madhu Limaye" and others "to move the following" and under the Rules of Procedure when a Member moves a motion which is standing on the Order Paper in his name, normally he is allowed to say something and put forward his arguments in support of the motion. But if there is something extraordinary in this particular motion, you should have given the reasons to the House as to why he should not move it.

Mr. Speaker: There is nothing extraordinary. I have already said that if a motion is also to be moved, he can move it formally without making his speech.

An hon. Member: Why?

Mr. Speaker: Because the House is unanimous and accepts it.

श्री मधु लिमये : आप को भाषण पर क्या एतराज है ? मैं अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं । इस में छिपाने की बात नहीं है । आप को अपना निर्देश मेरा प्रस्ताव मंजूर करने से पहले देना चाहिए था । आप को किसी ने मना नहीं किया था । आप को इसका पूरा

अधिकार था। आप के पास पत्र भी आये थे। फर भी आप ने निर्देश नहीं दिया। जब आप ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया, तब आप मुझे भाषण करने दीजिये। उसके बाद सदन मेरे प्रस्ताव पर जो कुछ करना चाहे, वह करे।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आप को भाषण करने दूं, तो फिर मुझे दूसरे मेम्बर्ज़ को भी मौका देना होगा।

Shri Hari Vishnu Kamath: Fix a time-limit if you want but he should be allowed to move it.

अध्यक्ष महोदय : जब सब इस पर एग्री करते हैं, तो फिर हाउस का वक्त किसी और यूज़फुल काम में लगाया जाना चाहिए, बजाये इसके सारा दिन इस पर लग जाये।

श्री मधु लिमये : तो फिर स्थगन-प्रस्ताव और अविश्वास-प्रस्ताव आदि पर भी आप सीधे वोट ले लीजिये। इस स्थिति में उन पर भी बहस करने की क्या आवश्यकता है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक फ़ार्मल मोशन है।

श्री मधु लिमये : यह औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी गम्भीर घटनायें हो गई हैं, वर्ना इस प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : जब पी० ए० सी० की रिपोर्ट आ जायेगी, तब आप सब घटनायें हाउस के सामने रख सकते हैं।

श्री मधु लिमये : आप मुझे प्रस्ताव रखने दीजिये। फिर आप जो चाहे कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकता हूं कि आप इस मोशन को मूव कर दीजिये।

श्री मधु लिमये : यह बड़ी अनियमितता हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही किस नियम के अधीन हो रही है। मैं इस प्रस्ताव को रख रहा हूं। मैं इसके हक़ में ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करने वाला हूं।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा, लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा 28 जुलाई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के प्रकाश में, . ."

Shri Bhagwat Jha Azad: Mr. Speaker, you have given your direction to the Public Accounts Commit- How can this motion be moved?

Mr. Speaker: Order, order.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य बैठ जायें और मुझे पढ़ने दें।

> "कि यह सभा, लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा 28 जुलाई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के प्रकाश में, लोक लेखा समिति को निर्देश देती है कि वह अपने 50वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) के पैरा 4.39 से 4.52 के सरकार द्वारा दिये गये उत्तर पर, जहां तक वह लोहा और इस्पात विभाग के उस समय के सचिव से संबंधित है, विचार करे और 21 दिन के अन्दर लोक-सभा को अपना प्रतिवेदन दे।"

अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : बस। इस से आगे नहीं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): How can you prevent him to argue in favour? I want to understand that. I want to know why you have suggested that. May be, there are some particular reasons and circumstances; may be, something wrong has taken place which has to be brought out, may be, the House ought to be in a position to tell the PAC as to which manner it should proceed in regard to this matter. He may have a lot of things to say.

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): When it has been moved, at least some time must be given for it. Already, five or ten minutes have been spent on whether it should be moved or not.

Shri Hari Vishnu Kamath: I request that one point may be clarified. That is a cognate issue which I would like to raise at this moment, and which touches directly on the matter before the House. It is a recognised and universally accepted principle of parliamentary democracy that the Minister-in-charge is responsible for the administration of the Ministry or the Department under him. Responsibilities in relation to civil servants and Ministers are well-defined in the parliamentary democratic set up. Therefore, I would suggest that the House should direct the Public Accounts Committee to examine the Minister who was in-charge of the Ministry on that particular date in order to ascertain to what extent the Minister was responsible for this particular deal and to what extent the Secretary was responsible.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में कुछ जानकारी सदन को आनी चाहिए ताकि सदन उस जानकारी के आधार पर पी० ए० सी० को कुछ कहे कि किस रोशनी और किन दिशाओं में इसकी जांच पड़ताल हो और इसके ऊपर वह सोच विचार कर सके । अगर किसी प्रस्ताव को सिर्फ इस तरीके से रख दिया जाय और उसके ऊपर दो चार मिनट रोशनी न डाली जाय तो यह जनतंत्र की एक गलत प्रथा होगी और खास कर इस सवाल पर जो कि बहुत बड़ा है । इससे हो सकता है कि जनतांत्रिक देश के अन्दर थोड़ी बहुत शंका आ जाय क्योंकि मंत्रियों के खिलाफ आरोप है और इसको दबाया जा रहा है, कहने नहीं दिया जा रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के जो पेशकर्त्ता, श्री मधु लिमये जी, हैं उनको समय दिया जाय ताकि वह कुछ रोशनी डालें और उसके आधार पर काम हो ।

Shri N. Dandeker (Gonda): After considerable thought, I am of opinion, Sir, that you ought not to allow a debate on this motion at all. It is a matter in which we are suggesting that a direction should be given to the Public Accounts Committee in connection with a certain matter with which a Secretary to Government is alleged to be concerned. The Secretary is a public servant. He is not present here to defend himself. it is a well-established practice of the House that matters of this kind ought not to be debated. The simple question just now is that a certain direction be given to the Public Accounts Committee and if the House is accepting it,—and you have agreed that such a direction be given ,—I think the matter ought to end there and there should be no debate.

Shrimati Renu Chakravartty: How does he know that what Mr. Madhu Limaye is going to state is going to be something which requires the presence of Mr. Bhoothalingam in this House? He is presupposing what Mr. Madhu Limaye is going to say. My position is that he is to move a motion and we have to listen to his arguments. Sir, this will become a precedent for the future that when we are allowed to move a motion, it will be put to the House without hearing our arguments. In this particular case, the House accepts it. But in

other cases, without hearing anything, it will be put to the House and rejected.

I say, you cannot take away from us the right of argument.

Mr. Speaker: The two things should not be mixed up. One is the discussion by the House or expression of its opinion on the Report that might be made by the Public Accounts Committee and the other is the examination by the Public Accounts Committee of a certain matter that has come before the House. . .

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Unless you are directing that this particular Report will be discussed in the House, generally, we do not discuss the P.A.C. Reports here.

Mr. Speaker: There is the right of the House to just make a motion that the Report be discussed and then it would be the occasion when you can say if anything is to be said against the Minister or not, whether the Report is justified or not and all that. That is the Committee of the House and that is given all the powers. It functions on behalf of the House and it has complete authority in that to make any report. Now, at this moment, it is not fair for the House to bind the hands of the Public Accounts Committee saying that this should be done or that should be done and to give all those details that somebody should be called and examined. That is not the business of the House. The House can send it to the Public Accounts Committee which is the representative body of this House and give direction that this might be examined. Let the Report come and then a notice can be given that that might be discussed . . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से प्रार्थना करना चाहता हूं .....

Mr. Speaker: I have already said that. I have given that direction. Now, because he insists that this was in his name, I have allowed him that much. I will straightway put it that this might go. There cannot be any discussion at this moment.

Shrimati Renu Chakravartty: May I point out that what you have said here is not correct? On an earlier occasion, we wanted to have debate on the Estimates Committee's Report in this House. You will remember that you categorically ruled out that no report of the Estimates Committee or the Public Accounts Committee can be debated in this House. Therefore, what you have stated now is something quite different. I am afraid, it will not be permitted and it has never been permitted during the last 15 years.

Mr. Speaker: The House has always the right to discuss the Report of the Committee. What has been ruled here is that the motion should come not in a general way that the Report should be discussed but that particular questions are to be discussed. That has always been the position. That has been explained by the presiding officers here.

Shrimati Renu Chakravartty: No, no.

Mr. Speaker: The House can always discuss it. It is not that the Report of the Public Accounts Committee or the Estimates Committee is final and that it cannot be discussed. That can always be discussed and that would be the occasion when this House will take note of any matters, any recommendations, that are made by the Public Accounts Committee.

Shri H. N. Mukerjee: We do have the right—nobody can take it away—to discuss the Report of any Committee of the House. That is a different matter. In practical terms—the Minister of Parliamentary Affairs is there—what happens is that on account of his having no time at his disposal, we cannot discuss

[Shri H. N. Mukerjee]

these things. On this point, some hocus-pocus has taken place. Something has got into the notice of the House which has led to all this trouble. When we are referring the matter to the Public Accounts Committee and some Minister and some public servant of some sort happen to be involved, certainly, the information in the possession of the Member ought to be shared by the House. I want to know why we are referring this matter to the Public Accounts Committee, as a Member of the House, not merely as an individual—I am not entitled to any special right—and the House has the right to know what is the reason that we are taking recourse to this extra-ordinary procedure. We are asking the Public Accounts Committee to look into a certain matter—we have the greatest respect for the Public Accounts Committee—and I am suspecting that something very fishy might have taken place.

श्री मधु लिमये : बहुत फिशी हो रहा है । प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने दबाव डाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है ।

Shri H. N. Mukerjee: I may be wrong—I wish I was wrong—but here is a Member who is very careful, who is very assiduous, who possibly may have a lot of things to say which the House has the right to know. Therefore, before we decide this matter, the Member should be given the right to speak on this.

Shri Bhagwat Jha Azad: The motion that is before the House is not about something which is unknown. It is the result or the by-product of the Call Attention notice which I myself and three other Members gave in this House. Then, the Call Attention notice was replied by the Finance Minister. Then again, under Rule 40 I gave notice of the matter under which the Chairman of the Public Accounts Committee replied. So, this is not something which is unknown about which some of the Members are saying that they have the right to know what it is. Everything is known. The Public Accounts Committee, in their 50th Report, have mentioned Mr. Boothalingam as responsible for certain things. In the other House also, some Members had given notice of it. Therefore, the facts are known. There is nothing new . . .

श्री मधु लिमये : यह आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा मेरे मन के अंदर क्या है यह आप बतायेंगे ?

Shri Bhagwat Jha Azad: I am not talking to you. You talk to the Speaker as I am talking to him. Don't cross-examine me; don't shout and show your anger . . .

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Bhagwat Jha Azad: Sir, the House is fully in possession of the facts. Firstly, the Public Accounts Committee, in their 50th Report, have mentioned this officer as responsible for something. Secondly, there was the Call Attention notice by me and three other Members. Thirdly, there was the reply of the Finance Minister. Fourthly, the reply of the Chairman of the Public Accounts Committee is known. Fifthly, under the Rules, as I told you earlier, you have got the right to give direction to the Public Accounts Committee. Sixthly, this is the last motion of which the notice was given. Therefore, there is nothing in the dark. Everything is plain and clear.

13 hrs.

Mr. Speaker: Despite all these arguments which have been advanced by Mr. Azad and which are, of course, very forceful and valid, my position is quite independent of that. I cannot allow an officer to be pre-judged

here before the Public Accounts Committee has seen that. Here he would be criticized; remarks would be passed against him. (*Interruptions*) Before the Public Accounts Committee has an opportunity of examining the whole case, how can we discuss it here? When the Public Accounts Committee is seized of the matter, how can we have a discussion here and make all kinds of remarks and comments?

श्री बागड़ी : आपको ज्योतिष आगया क्या ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बोलने वाला हूं, उस को आप एन्टीसिपेट क्यों कर रहे हैं, अनुमान क्यों लगा र हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं कर सकता हूं।

श्री मधु लिमये : नहीं कर सकते, मेरे मन की बात को आप एन्टीसिपेट नहीं कर सकते। आपके पास कोई जादू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जादू तो हर एक मेम्बर के साथ है। वे जानते हैं यहां इतना काम रोज होता है। इस में जादू की कोई बात नहीं है, यह आर्डिनरी इन्टैलिजेंस की बात है। ऐसी स्थिति में इस की इजाजत देना मुनासिब नहीं है।

Shri Hari Vishnu Kamath: You should fix some time limit also for this.

Mr. Speaker: That also, I will say, I can assure the House that I will try to provide an opportunity, when the report is made, for the House to discuss.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लीजिये।

Shri Surendranath Dwivedy: Let the motion be put to vote.

Mr. Speaker: He has moved it. I will put it for the acceptance of the House.

The question is:

"That this House, in the light of the statement made by the Chairman of Public Accounts Committee on 28th July, 1966, in Lok Sabha, directs the Public Accounts Committee to consider Government's reply to paragraphs 4.39 to 4.52 of their 50th Report (Third Lok Sabha) in so far as they refer to the then Secretary of the Department of Iron and Steel and submit its report to Lok Sabha within 21 days."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shrimati Renu Chakravartty: The fundamental right of the mover, when a motion has been put down, is to adduce arguments. I think you are wrong. I shall walk out on this.

(*Shrimati Renu Chakravartty then left the House*)

श्री मधु लिमये : इस में सभा त्याग का सवाल नहीं है, मैं जाने वाला नहीं हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप आज लोक-सभा में सीन क्रियेट कर रहे है तमाशा पैदा कर रहे हैं, सारे नियमों को तोड़ कर।

मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है।

Mr. Speaker: We shall now take up further consideration of the no-confidence motion.

Mr. Rameshwar Rao.

श्री मधु लिमये : आप यह सब सरकार को बचाने के लिये कर रहे हैं।

Mr. Speaker: I have done what I have thought fit. Nothing beyond that. I will now take up further consideration of the no-confidence motion.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही इस तरह से नहीं चल सकती है आप सारे नियमों को तोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं तोड़ रहा हूं।

श्री मधु लिमये : बिलकुल तोड़ रहे रहे है। आप सरकार के प्रभाव में आकर यह निर्णय दे रहे हैं। बल्कि मैं यह आरोप आप के ऊपर लगा रहा हूं, मैं आपके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव ला रहा हूं कि आपने सरकार के प्रभाव में आकर सारे नियमों को, कार्य-पद्धिति को तोड़ कर.....

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास का प्रस्ताव लाने का हर एक मेम्बर को हक है। आप जरूर प्रस्ताव लाये, मगर उस का डरावा देना मुनासिब नहीं है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मेरा निवेदन यह है कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है तो क्या आप उसको सुनेंगें नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है।

श्री रामसेवक यादव : आपने सुना ही नहीं है। आप बिना सुने दूसरे बिजनेस पर चले गये।

Shri Rameshwar Rao (Gadwal): I have listened with care . . .

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, कहिये।

श्री बागड़ी : क्या मनमाने ढंग से चलाकर काम होता है। क्यों सिन्हा साहब, क्या इसी तरह से चलेगा ?

श्री मधु लिमये : किसी प्रस्ताव या मोशन के बारे में हमारे सदन के नियम बने हुए हैं और मैं आपका ध्यान नियम 176 (ए) की ओर खीचना चाहता हूं--

"A member in whose name a resolution stands on the list of business shall, except, when he wishes to withdraw it, when called upon, move the resolution, and shall commence his speech by a formal motion in the terms appearing in the list of business."

Shri K. C. Sharma (Sardhana): "When called upon".

श्री मधु लिमये : इसलिए आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि प्रस्ताव को मैंने बाकायदा सदन के सामने रखा है और उस पर भाषण करने का मुझे पूरा अधिकार है, इसमें "मेम्बर शैल कमेन्स हिज स्पीच" लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा है कि मैं इस के लिये डाइरैक्शन दे रहा हूं। इस लिये प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस के बाबजूद भी चूंकि आपका रेजोल्यूशन पहले आया था, इस लिये मैंने कह दिया कि आप इस को मूव कर दीजिये। रूल्ज के मुताबिक काम को किस तरह से चलाना है, यह मेरा अधिकार है, मैंने रूल्ज के मुताबिक किया है, कोई चांज अलेहदा नहीं की है।

श्री मधु लिमये : इस तरह से नहीं चलेगा, इस के बारे में आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है।

श्री मधु लिमये : नियमावली के शब्द बिलकुल साफ हैं, अपने मुझे प्रस्ताव रखने को कहा। प्रस्ताव रखने के पश्चात् मुझे भाषण देने का पूरा अधिकार है, आप मेरे अधिकार को इस तरह से नहीं छीन सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं छीन नहीं रहा हूं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप बराबर छीन रहे हैं। इतना ही नहीं आप अपने एक एक निर्णय को बदल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री मधु लिमये : आपने कहा था कि मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव को उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने कहा था।

Shri Joachim Alva (Kanara): We protest against the repeated defiance of the Chair. He has been repeatedly defying the Chair.

श्री मधु लिमये : इस पर रोक नहीं लगाइये, हम को पूरी बात कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप चुप बैठिये, बहुत सब्र कर रहा हूं।

श्री मधु लिमये : आज की जो कार्यवाही हुई है, वह मुझ को जंचती नहीं है, फिर भी आपके कहने के अनुसार मैं इस पर भाषण नहीं करूंगा और मेरा जो विशेषाधिकार के भंग का प्रस्ताव है, असल में दो प्रस्ताव हैं, उनके बारे में ही अपनी सदन के सामने रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा जो विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव है, वह वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी साहब के खिलाफ है और दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि यह जो अमीचन्द प्यारेलाल की कम्पनी है, उसके एक पार्टनर श्री जीत पाल साहब हैं, उनके खिलाफ़ है। उन्होंने एक अर्जी छाप कर प्रकाशित की है, उसके छापेखाने के जो मालिक हैं, उनका नाम उसमें नहीं है, जो भी हों, उसकी जांच करें, उनको भी इस विशेषाधिकार भंग में लाकर उनके खिलाफ़ कार्यवाही करें।

अब पहले जो जीत पाल साहब हैं, इनके बारे में ही अर्ज करूंगा। इतवार के सवेरे की बात है। एक दूबे नाम के आदमी हैं, उनका मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने मुझ से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और साथ में एक दोस्त को भी ले आऊंगा। मैंने साढ़े पांच बजे का समय दिया। ये दूबे साहब दो-चार महीने पहले, जब यहां चमनलाल का मामला चल रहा था, मुझे जानकारी देने आये थे। उस वक्त उन्होंने जो जानकारी मुझे दी थी, उसका उस वक्त कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैंने कोई विशेष बात नहीं पाई। जब इतवार की शाम को ये सज्जन मेरे पास आये, तो जिन दो आदमियों को लाये, उनमें से एक ने कहा कि मैं जीतपाल हूं और अमींचन्द प्यारे लाल फर्म का मैं पार्टनर हूं। उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के आरोप का सवाल छेड़ा और उन्होंने यह छपा हुआ दस्तावेज मुझे दिया, जिसको कि मैंने आथेन्टीकेट करके आपके पास भेज दिया। वह कहने लगे कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और उसके खिलाफ मैं लोक सभा में एक अर्जी देना चाहता हूं। फिर उन्होंने मेरे हाथ में यह कागज़ रखा और कहा कि आप मेरी बात सुनिये। मैंने उनसे कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सारी बातें थीं, सारे दस्तावेज थे, और उनकी जांच करने के पश्चात् पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने फैसले पर पहुंची है। इसलिये मैं इसके बारे में आप से बहस नहीं करना चाहता हूं और न कुछ सुनना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि यह मेरी अर्जी है, आप कम से कम इसको तो पढ़िये। तब यह अर्जी मैंने ले ली। उसके पश्चात् मैंने दुबे साहब से कहा कि आप ने सवेरे मुझे नहीं बतलाया कि जो अमीचन्द प्यारेलाल फर्म के एक पार्टनर हैं वह आपके साथ आ रहे हैं और पी० ए० सी० के मामले में बात करना चाहते हैं। इसके बाद वह चले गये।

[श्री मधु लिमये]

मैंने अर्जी सम्बन्धी जितनी हमारी नियमावली है उसका अध्ययन करके आपके पास सवरे खत भेजा है। अब मेरा जो आशय है उस पर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहता हूं। केवल जिन पांच मुद्दों के बारे में मैंने आप को पत्र लिखा था उनको ही पढ़ता हूं। उनमें से कुछ मुद्दे यह हैं :

"Now, I believe it is a grave breach of privilege and contempt of the House to print a petition and circulate it before it has been formally presented to the Lok Sabha.

2. This petion, I find, has not been presented to the House.

3. The contempt of the House becomes all the more serious because the petition is no ordinary petition ventilating a certain grievance; it traverses the finding of the Fiftieth Report of the Public Accounts Committee and seeks to prejudice Members adversely against the public Accounts Committee by bringing undue influence on Members, Members who do not have any of the materials that led the Public Accounts Committee to make the report.

4. Assuming that the said petition had been presented to Parliament with the Speaker's consent, even so, it would be a breach of privilege because I think the petion cannot be circulated without the sanction of the Committee on Petitions.

5. Further, this printed matter bears no printers' line and so whoever printed it has also committed breach of privilege and should be hauled up."

यह जो मामला है वह अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी के जो पार्टनर हैं, उन्होंने जो अर्जी परिचालित की है और अनुचित ढंग से सदस्यों के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया है, उसके सम्बन्ध में है। इस तरह के लोग दिल्ली शहर में बहुत हैं और आते जाते रहते हैं। श्री कामत ने भी इस सवाल को उठाया था यहां मांग की गई कि कौन कौन कन्टेक्टमेन या संबंध जोड़ने वाले लोग हैं उनकी सूची प्रकाशित की जाये। जो दुबे साहब हैं उन्होंने हमें कभी नहीं बतलाया, और शायद किसी को नहीं बतलाया, कि वह पार्लियामेन्ट के एक सदस्य के साथ रहते हैं। अब तक इसका पता मुझे नहीं चला। वह अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी में नौकर हैं, इसका पता भी मुझे अभी चला है। इसलिये मैं आप से मांग करना चाहता हूं कि अमीचन्द प्यारेलाल फर्म के जो पार्टनर हैं उनके खिलाफ वारंट निकालिये और उन्हें सबक सिखलाने के लिये सदन के सामने लाइये, और उनका मामला विशेषाधिकार समिति के सामने रखिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से एक सवाल पूछ रहा हूं। आप ने ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि सर्कुलेट किया। इस बात में मैं आप से इत्तफाक करता हूं कि अगर कमेटी के सामने या हाउस में पेश करने से पहले कोई आदमी अर्जी को सर्कुलेट करे तो यह चीज ऐक्शनेबल है। आप कहते हैं कि सर्कुलेट किया। तो क्या वह सब मेम्बरों को भेजी गई है।

Shri Bhagwat Jha Azad: Giving it to one Member is enough.

श्री मधु लिमये : कई मेम्बरों को दिया है।

(*Laughter*).

Shri Rajeshwar Patel: It was circulated to some other Members also.

Mr. Speaker: Members should realise that it is not a matter for laughter. It is a serious thing and we should consider it on merits.

एक चीज हमें सोच लेनी चाहिये । अगर वह आप के पास पहुंच जाये . . .

श्री मधु लिमये : इसके सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स के जो प्रसिडेंट्स हैं उनको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले फैक्ट्स साफ हो जायें । आप ने कहा कि जो आदमी आप के पास आया उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय किया है कमेटी ने . . . .

श्री मधु लिमये : उस में है, उन्होंने कहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उसमें क्या है । आप ने कहा कि आप से कहा . . .

श्री मधु लिमये : हां, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, हमारी बात को सुना जाये ।

अध्यक्ष महोदय : और उन्होंने यह कहा कि लोक सभा में अर्जी देना चाहते हैं । आप से यह कहा कि उनकी अर्जी को लोक सभा के . . .

श्री मधु लिमये : जी नहीं, यह कैसे हो सकता है । इसीलिये मैंने यह कार्रवाई की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हर एक सिटिजेन को यह हक तो है कि जो पिटिशन पार्लियामेन्ट को करना हो वह मेम्बर की मार्फत ही हो सकता है । इस वास्ते वह एक मेम्बर के पास जाये, दूसरे के पास जाये और यह कोशिश करे कि कोई मेम्बर उस पर दस्तखत करने के लिये तैयार हो और पिटिशन हाउस के सामने प्रेजेन्ट करे, यहां तक तो उसका जस्टिफिकेशन है । एक के पास जाये, दूसरे के पास जाये, तीसरे के पास जाये, और अगर उन में से कोई नहीं लेता तो वह पांच, सात आदमियों के पास जा सकता है । अगर उसको यहां प्रेजेन्ट करने से पहले प्रिंट कर दिया, तो उसको प्रिंट करने से कोई रोक नहीं सकता । अगर कोई प्रिंट कर के घर में रख ले तो उस को हम रोक कैसे सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले फैक्ट्स साफ हो जाने दीजिये, तब हम नतीज पर पहुंचेंगे कि आया जुर्म हुआ है या नहीं । प्रिंट करना जुर्म नहीं, मेम्बर के पास जाना कोई जुर्म नहीं । मगर अगर यह पिटिशन सर्कुलेट कर दी गई है तब बराबर जुर्म है । अगर आप सर्कुलेट करने की बात कहें तो मैं पता कर के बतला सकता हूं और ऐक्शन लेने के लिये तैयार हूं ।

जहां तक इस का सवाल है कि लाइन प्रिंट नही हुई, तो मैं यह होम मिनिस्टर को लिखूंगा । यह उन का काम है कि वह उसके लिये ऐक्शन लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रेस ऐक्ट के मातहत ।

अध्यक्ष महोदय : तीसरी चीज कि पार्लियामेन्ट में लाया गया । यह तीनों सवाल जो आप ने किये हैं उनमें से जो ऐक्शनेबल है वह है पिटिशन को सर्कुलेट करना before it has been presented to the committee. अगर आपका यह कहना है तो मैं इसका जवाब लेने के लिये तैयार हूं, और अगर ऐक्शन साबित हो जाये तो यह बराबर ऐक्शनेबल है और हाउस इस पर ऐक्शन लेगा ।

श्री मधु लिमये : यह मेरा मुद्दा नहीं है । आपने यह निर्णय दिया है कि सरकार और सरकार के मन्त्री को भी यह अधिकार नहीं है कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट की आलोचना करे या उस के बारे में जाहिरा तौर पर कुछ कहे ।

अध्यक्ष महोदय : आप से पार्लियामेंट के सामने पेश करने के लिये कहा गया ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ से यह नहीं कहा आप अर्जी लोक सभा के सामने रक्खें । इसका कोई सवाल ही नहीं । उन्होंने कहा कि यह अर्जी मैं लोक सभा को दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास भी आज पिटीशन के साथ एक खत आया है ।

श्री मधु लिमये : आज आया या नहीं...

अध्यक्ष महोदय : वह आज आया है जिस को मैं कमेटी के सामने भेजूंगा । मैं पार्टी को भी नोटिस दूंगा और देखूंगा कि यह उसका क्या जवाब देते हैं ।

सर्कुलेशन के सम्बन्ध में क्या आप को निश्चय है कि वह मेम्बरों को सर्कुलेट किया गया है ।

श्री मधु लिमये : यह हम को मालूम नहीं है । दो सदस्यों ने कहा और इसी लिये दूसरी कापी आई है ।

अध्यक्ष महोदय : दो सदस्यों का सवाल नहीं है । सर्कुलेशन की बात मैं देख लूंगा । अब आप दूसरी बात कहिये ।

श्री मधु लिमये : जो दूसरा मामला है उसके पीछे एक बड़ा सिद्धान्त है, और वह यह है कि इसमें समाजवाद बनाम पूंजीवाद का कोई सवाल नहीं । जो खुली स्पर्द्धा पर आधारित पूंजीवाद है जिसमें उद्योगशीलता है, पैदावार बढ़ाने की तमन्ना है, यह चीज मेरी समझ में आती है । लेकिन जो चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं वह वस्तुतः नौकरशाही पूंजीवाद का सवाल है जिसमें अनुचित दबाव, सत्ता का दुरुपयोग, घूसखोरी और बेईमानी, इन के जरिये पैसा बनाने की कोशिश की जाती है ।

अब मैं दूसरा विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव यह रख रहा हूं । हमारे वित्त मन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी भली भांति जानते थे कि पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के बारे में पार्लियामेंट का हमेशा क्या तरीका रहा है । पहले मैं यह साबित करता हूं कि वह जानकारी रखते थे । अनजान या नासमझी में कोई चीज वह नहीं कर रहे हैं । क्योंकि राज्य सभा में उन्होंने 19 मई को निम्नलिखित वाक्य कहे थे पी० ए० सी० सम्बन्धी जो प्रक्रिया तथा नियमावली है उसके सम्बन्ध में । उसमें शचीन्द्र चौधरी साहब ने कहा था :

"So far as the assurance is concerned, the only assurance I can give this House is that the procedure will be followed. The PAC's recommendations will be looked into and examined, and certainly answers would be made to the Public Accounts Committee, and the Committee, I am perfectly certain, will place all these observations before the House".

आगे उन्होंने कहा :

"As you know, when the Public Accounts Committee makes its report, that report has to be considered by the Government and the Government has got a right to make its own observations or its own judgment on it, and the PAC has got the obligation to put them before the Houses. When that has been done, then any further step that may be taken would be considered by the two Houses".

यह 19 मई को उन्होंने कहा । कोई नासमझी में वह बात नहीं कर रहे थे । वह अच्छी तरह से वाकिफ थे कि क्या प्रक्रिया है । इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो सिफारिशें कहिये, टिप्पणी कहिये, आलोचना कहिये या उत्तर कहिये, पी० ए० सी० के पास भेजी थी उसके बारे में यह साहिब, पी० ए० सी० को इन्होंने क्या क्या लिखा था उसके बारे में ज़ाहिरा तौर पर बात करते हैं और यह

बताने की कोशिश करते हैं कि पी० ए० सी० गलत थी, इस्पात सचिव का, स्टील सेक्रटरी का कोई दोष नहीं था। अब जब इस तरह की बहस अखबारों में आ जाती है तो मेरा यह कहना है कि इस में पार्लिमेंट के विशेष अधिकारों का भंग होता है क्योंकि यह एकतरफा सफाई होती है।

आप देखें कि हमारी क्या परम्परा रही है ? एक दफा मेरा ख्याल है और इसके बारे में मैंने प्रैसीडेंट्स भी निकाले हैं, एक मामला हुआ था पंजाब राव देशमुख साहब का। अगर त्यागी जी इस सदन में हों तो वह मेरी इस बात का समर्थन करेंगे . . .

श्री यशपाल सिंह (कैराना): इस वक्त वह देहरादून की गलियों में हैं।

श्री मधु लिमये : उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी उसके दो तीन हिस्से मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह त्यागी जी ने कहा था :

"There is a time-honoured practice and a convention in this House observed for years together in the past, that even the Government or any Minister cannot come out with any statement pertaining to audit objections unless they came through the Public Accounts Committee. Even the Government are not permitted. If they have to say something about raising objections pertaining to the PAC, such statements are always processed through the Public Accounts Committee".

उसके ऊपर आप अध्यक्ष महोदय, यह फैसला देते हैं :

"I also agree that when such things are said and something has been contested, when there is a report of the Public Accounts Committee and members or any other body or even the Government have any objection, that statement must go to the Public Accounts Committee first so that they may have a chance to consider it. I agree there".

यह तारीख वगैरह आप जानते हैं। और आप कहते हैं :

"The explanation is being sent to the Public Accounts Committee. They will have an opportunity to look into it . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसमें एग्री करते हैं तो पहले मुझ से आप यों ही नाराज हो रहे थे।

श्री मधु लिमये : उस बात को छोड़ दीजिये। हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर उसके ऊपर एग्री करते हैं तो मुझ से यों ही नाराज हो रहे थे।

श्री मधु लिमये : सभी चीजों के बारे में मैं आप से एक राय हो जाऊं यह सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

श्री मधु लिमये : इसके बाद पंजाब राव देशमुख साहब का जो बयान था उसमें आपने संशोधन करवाया और पंजाब राव देशमुख साहब ने कहा :

"Even so, Sir, I have decided not to say anything whatever here about the observations of the Public Accounts Committee, because I would like to abide by Tyagiji's advice that I should conform to the usual practice of first placing what I wish to urge before the PAC. I am accordingly going to submit a note to the Committee and would, therefore, request the House to suspend their judgment till the Committee has re-examined the whole matter in the light of what I propose to place before them".

[श्री मधु लिमये]

मैं नहीं समझता हूं कि अब हाउस आफ कामन्ज वगैरह को कोई जरूरत है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शचीन्द्र चौधरी साहब ने इस सदन के दो विशेषाधिकारों का भंग किया है । एक तो उन्होंने जाहिरा तौर पर चर्चा की, एकतरफा बात कही और यहां तक जा कर कहा कि यह जो स्टील सैक्रेटरी हैं इनके जैसा ईमानदार नौकर शायद ही मिलता है, इन्होंने अभी तक गलत काम नहीं किया है, इनका रिकार्ड बिल्कुल साफ़ है । यह जो सफाई मंत्री महोदय ने दी इससे उन्होंने एक ऐसा वातावरण सारे देश में पैदा करने की कोशिश की कि जैसे पी० ए० सी० की जो रपट है और उसकी जांच के जो निष्कर्ष हैं वे गलत हैं और उसमें बहुत अन्याय हुआ है ।

अब अध्यक्ष महोदय मैं अन्त में इसके बारे में एक बात कहूंगा । आगे जाकर उन्होंने इस लोक सभा में यह भी अपेक्षा पैदा की, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, और इसको मुरारका साहब ने साबित किया है अपने एक बयान के द्वारा, कि जल्द ही पी० ए० सी० कोई विशेष बैठक बुला कर इन्होंने जो बूथलिंगम के बारे में कहा है उस पर विचार करके कुछ रपट संसद को देने वाली है । अगर यह शचीन्द्र चौधरी साहब वाली बात सही होती तो हम को यह प्रस्ताव न रखना पड़ता जो कुछ ही समय पहले रखना पड़ा है । हमको प्रस्ताव इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मुरारका साहब ने यह साफ कहा है कि कोई विशेष मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, जैसे मामले आते हैं, पी० ए० सी० उसके ऊपर विचार करती जाएगी और जो फैसला है वह फैसला सदन के सामने आएगा ।

यह इस सदन की निश्चित परिपाटी है, परम्परा है कि जब तक पी० ए० सी० में मामले पर बहस नहीं होती कि सरकारी आलोचना में कहां तक दम है, और या तो वह अपनी सहमति प्रकट करे या असहमति प्रकट करे तब तक उसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती है । सभी मामले पी० ए० सी० की ओर से सदन के सामने आते हैं और उसके पश्चात् ही यह सदन फैसला करता है । मेरा निवेदन है कि शचीन्द्र चौधरी साहब ने जानबूझ कर—जानबूझ कर शब्द पर मैं ज़रा जोर देना चाहता हूं, वजन के साथ कहना चाहता हूं—यह सब किया है । इसका कारण यह है कि अगर उनको इस प्रक्रिया का पता न होता तो शायद हम लोग कहते कि अनपढ़ आदमी हैं, यह जानते नहीं हैं, यह नए नए आए हैं, राजनीति से परिचित नहीं हैं । लेकिन वह बात नहीं है । सब कुछ यह जानते हैं और जानने के पश्चात् भी इनको यह खराब आदत है । एक दफा अध्यक्ष महोदय, चमन लाल का चालीस लाख का विदेशी मुद्रा की चोरी का मामला जब यहां प्रकट किया गया था तब इन्होंने इस सदन को कहा था कि चालीस लाख रुपया वसूला गया और जब मैंने इस असत्य को—झूठ नहीं कहता हूं—साबित किया तो मन्त्री महोदय अंग्रेजी की बहस हमारे सामने करने लगे और उन्होंने हमसे यहां तक कहा कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं । इन्होंने कहा कि अंग्रजी भाषा में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं । मैं जानता हूं कि सभी भाषाओं में होते हैं । लेकिन फिर वैबस्टर को जो थर्ड इटर नेशनल डिक्शनरी है और जो बड़ी आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है जिस में पन्द्रह लाख उद्धरण हैं उनमें से चार उद्धरण हम को इनके सामने पेश करने पड़े और यह साबित करना पड़ा कि जिस संदर्भ में उन्होंने "गैट बैंक" शब्द का प्रयोग किया था उसका अर्थ "रिक्वरी के अलावा और कोई हो नहीं सकता है । मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता हूं । मेरी अपनी मातृभाषा है । और महात्मा गांधी की बदौलत हम लोगों ने हिन्दुस्तानी में बोलने की ही परम्परा बना रखी है । लेकिन जो अंग्रेजी के महाविद्वान् हैं वे तो कम से कम अंग्रेजी की आड़ में सदन को गुमराह करने की कोशिश

न करें। इसलिए मैंने मांग भी की थी कि कम से कम जरा 'ग्रेसफुली'—ये अंग्रेज लोग हैं इसलिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं—माफी तो मांग लें कि गलती हो गई। लेकिन इनकी खराब आदत है, इसलिए यह विशेषाधिकार का भंग इन्होंने जानबूझ कर बूथलिंगम साहब को बचाने के लिए किया है। हमारी समझ में नहीं आता है, अध्यक्ष महोदय, कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके ये जो लफंगे लोग हैं और जो कि जनता को लूटने का, सरकार को लूटने का और विदेशी मुद्रा की चोरी करने का काम करते हैं, उनको यह क्यों संरक्षण देते हैं। आज तो यह वकील नहीं है। आज तो यह मन्त्री हैं। वकीलों की एक आदत होती है वकालतनामा या ब्रीफ लेकर बोलने की जिसको हम छुड़वाना चाहते हैं... (इंटरप्शंज)

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): I very strongly object to this.

श्री मधु लिमये : इनकी यानी वित्त मन्त्री की इस खराब आदत को छुड़वाने के लिए ही आप मेरे इस विशषाधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : ये लफंगे लोग, आपने किन को कहा है ?

श्री मधु लिमये : इनको नहीं कहा है। शचीन्द्र चौधरी साहब को नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : तब किस के लिए इस शब्द का आपने प्रयोग किया है ?

श्री मधु लिमये : सत्ता का जो दुरुपयोग करते हैं। पी० ए० सी० ने सब बातें आपके सामने रखी हैं। अब दाडेकर साहब एतराज करेंगे अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो। तब कई लोगों का मुझे नाम लेना पड़गा।

Shri Sachindra Chaudhuri: I have heard those points, whether they are an inquisition or a privilege motion is something which I do not know. You have heard the entire matter. I have not got any paper before me, and therefore I cannot with exactitude tell this House exactly what happened. I am speaking from memory.

श्री मधु लिमये : कल कहिए। कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। होम वर्क करके कहिए।

Mr. Speaker: If he wants time, he can study the statement that he has made and he can make the statement later on.

Shri Sachindra Chaudhuri: So far as the statement is concerned, I can certainly give you the statement, no difficulty about that, but I will tell you what happened. I am saying this from memory.

Mr. Speaker: Would it not be better if he studies this statement and then gives a reply?

Shri Sachindra Chaudhuri: Certainly.

Shri Bhagwat Jha Azad: The entire thing has been printed in *Current* in the front page and sent to us with red pencil marking along with the jeep deal case. May I know whether that is also included in the privilege motion before the House?

13.31 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS —*Contd.*

Shri Rameshwar Rao (Gadwal): Four Members of the Opposition, Prof. Mukerjee, Prof. Ranga, Shri Trivedi and Prof. Hem Barua have spoken at length on this no confidence motion. I have heard their interventions with care and attention. Normally I like to listen to my hon. friend Prof. Mukerjee speak because of his chaste English, classical Sanskrit and lyrical Bengali, but I wonder what happened to him yesterday.